न्यायालय उपजिलाधिकारी बिल्थरा रोड़, बलिया

वाद संख्या– 06
10-11-15

दिनांक–

धारा	–	143 उ0प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 सु0 अधिनियम
मौजा	–	भीमपुरा नं0–1 एवं कुशहाँ ब्राम्हण
परगना	–	सिकन्दरपुर गर्वी
तहसील	–	बिल्थरा रोड़
जनपद	–	बलिया

श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–1, बलिया
बनाम
राजस्व निरीक्षक

निर्णय

प्रस्तुत वाद कृष्णा नन्द सिंह प्रबन्धक श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–1, बलिया निवासी भीमपुरा नं0–1, तहसील–बिल्थरा रोड द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम भीमपुरा नं0–1 में स्थित आराजी नं0 350 रकबा 0.546 हे0, 431 मि रकबा 0.154 हे0, 464 मि रकबा 1. 503 हे0 कुल 3 गाटा रकबा 2.203 हे0 अर्थात 21760 वर्ग मीटर एवं ग्राम कुशहाँ ब्राम्हण, परगना एवं तहसील उपरोक्त में स्थित आराजी नं0 869 रकबा 1.627 हे0 अर्थात 16080 वर्ग मीटर अकृषिक भूमि है। धारा 143 U.P.Z.A.L.R.ACT के तहत इसे अकृषिक घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त भूमि विद्यालय हेतु प्रयोग में लायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 24.09.2015 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसीलदार बिल्थरा रोड से जाँच करा कर आख्या देने हेतु इस न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि निर्गत की गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.09.2015 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भूलेख अधिनियम की धारा 135 (1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी। उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि गाटा संख्या 350 रकबा 0.546 हे0, 431 मि0 रकबा 0.154 हे0, 464 मि रकबा 1.503 हे0 कुल 3 गाटा रकबा 2.203 हे0 अर्थात 21760 वर्ग मीटर मालगुजारी रू0 54.40 एवं ग्राम कुशहाँ ब्राम्हण, परगना एवं तहसील उपरोक्त में स्थित आराजी नं0 869 रकबा 1.627 हे0 अर्थात 16080 वर्ग मीटर मालगुजारी 40. 20 रू0 कागजात में श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–1, बलिया के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो खाता खतौनी सं0 118,126,242,257,268,279,386,396 ग्राम भीमपुरा नं0–1 एवं खाता खतौनी सं0 425 ग्राम कुशहाँ ब्राम्हण पर अंकित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त आराजी एवं रकबें में श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–1, बलिया स्थित है। जिसे आबादी श्रेणी 6 (2) कायम किया जा सकता है।

इस वाद में किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी, मेरे द्वारा वादी एवं उसके अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार बिल्थरा रोड़ की आख्या 06.10.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी व रकबा अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है जिसे अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है। भूलेख अधिनियम की धारा 135 (1) के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि के सम्बन्ध में विवरण राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार बिल्थरा रोड़ द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः तहसीलदार बिल्थरा रोड की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2015 को स्वीकार करते हुए मौजा भीमपुरा नं0–1, के खाता सं0– 118,126,242,257,268,279,386,398 आराजी नं0 350 रकबा 0.546 हे0, 431 मि रकबा 0.154 हे0, 464 रकबा 1..503 हे0 कुल 3 गाटा रकबा 2.203 हे0 अर्थात 21760 वर्ग मीटर मालगुजारी 54.40 रू0 एवं ग्राम कुशहाँ ब्राम्हण, परगना एवं तहसील उपरोक्त में स्थित आराजी नं0 869 रकबा 1.627 हे0 अर्थात 16080 वर्ग मीटर मालगुजारी 40.20 रू0 जो श्री राम करण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं0–1, बलिया के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है को 143 उ0प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे ग्राम भीमपुरा की भूमि 1.503 हे0 रू0 54.40. एवं ग्राम कुशहाँ ब्राम्हण की भूमि 1.627 हे0 रू0 40.20 के मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

18.11.15

दिनांक

(प्रवरशील बर्नवाल)
उपजिलाधिकारी
बिल्थरा रोड, बलिया

प्रमाणित प्रतिलिपि